निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर, जयपुर (राज॰)

प्रकरण संख्या 80/2016 ( राजस्व अपील )

1. भगवान सहाय पुत्र स्व॰ श्री छीतर
2. मुकेश पुत्र स्व॰ श्री छीतर
3. कैलाश पुत्र स्व॰ श्री कल्याण सहाय शर्मा

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी भूतावाली ढाणी, ग्राम बिन्दायका, तहसील व जिला जयपुर।

**अपीलार्थी**

बनाम

1. सुरेश कुमार पुत्र स्व॰ श्री कल्याण सहाय जाति ब्राह्मण निवासी भूतावाली ढाणी, ग्राम बिन्दायका, तहसील व जिला जयपुर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर ।

**प्रत्यर्थीगण**

अपील अन्तर्गत खण्ड 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित आदेश जिसके द्वारा ग्राम बिन्दायका तहसील जयपुर का नामान्तरकरण संख्या 1355 आदेश दिनांक 12.01.2015 को स्वीकृत किया गया ।

उपस्थित :–

1.श्री राजकुमार चौधरी अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 04.01.2022

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने राजस्व ग्राम बिन्दायका तहसील जयपुर के नामान्तरकरण संख्या 1355 पर तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.01.2015 से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस प्रत्यर्थी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या एक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस एक पक्षीय अपीलार्थी की सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण के अन्तर्गत वर्णित आराजीयात के अन्तर्गत किसी प्रकार का कोई रास्ता नही है और न ही कानूनन किसी को रास्ता ही प्रदान किया किया जा सकता है, क्योंकि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 सुरेश कुमार वगैरह ने झूंठे तथ्यों के आधार पर उपखण्ड अधिकारी जयपुर

जिला कलक्टर
जयपुर

प्रथम के समक्ष कर अपीलाधीन एक पक्षीय निर्णय पारित करा लिया जिसकी आड में तहसीलदार ने बिना अपीलार्थीगण को नोटिस दिये ही चुपचाप अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया है। जो कि न्याय व काननून के सिद्वान्तों के प्रतिकूल होने के कारण निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी .जयपुर प्रथम द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2014 का इल्म अपीलार्थीगण को होते ही अपीलार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के न्यायालय में एक नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर पक्षकारान की सुनवाई करते हुये उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम ने दिनांक 24.02.2015 को नजरसानी प्रार्थना पत्र के आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये पक्षकारान को प्रकरण में पुनः अन्तिम रूप से बहस सुनी जाने के आदेश पारित किये इससे साफ स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा पारित पूर्व आदेश दिनांक 15.12.2015 अपास्त हो चुका है, जिसकी पालना में भरा गया अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1355 दिनांक 12.01.2015 का कानूनन कोई अस्तित्व नहीं रहता है अर्थात स्वतः ही निरस्तनीय है। तहसीलदार ने अपीलाधीन नामान्तरकरण काफी दिन पश्चात पिछले दिनों में यह नामान्तरकरण कार्यवाही की है जो कि कानूनन टिकने योग्य नहीं है, अपितु अपास्त किये जाने योग्य है। पक्षकार के मध्य रास्ते संबंधित मामला सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत स्थगन आदेश भी जारी है। प्रकरणों के अन्तर्गत अभी अन्तिम रूप से निर्णय पारित नहीं हुआ है जिससे पक्षकारान के हक अधिकार तय होना शेष है, फिर अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्यों को इग्नोर करते हुये जो अपीलाधीन निर्णय सादिर किया है जो कि न्याय व कानूनन के सिद्वान्तों के प्रतिकूल होने के कारण मंसूख किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम एवं लैण्ड रिकार्ड रूल्स 118 से 121 की बिना पालना किये ही एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल निर्णय सादिर किये जाने के कारण निर्णय मातहत अदालत न्यायोचित नहीं होने के कारण मंसूख किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय केवल मात्र कयास के आधर पर ही पारित किया है जो न्यायिक निर्णय की संज्ञा में नहीं आने के कारण एवं दोष पूर्ण होने के कारण मंसूख किये जाने योग्य है। तहसीलदार जयपुर ने अपीलाधीन नामान्तरकरण अपीलार्थी को बिना सुने तस्दीक किया है जिससे प्रार्थी को समय पर जानकारी नहीं हो सकी। जानकारी मिलते ही अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित ग्राम बिन्दायका के नामान्तरकण संख्या 1355 पर पारित निर्णय दिनांक 12.01.2015 को निरस्त किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अपीलाथर्ली के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

6. सर्वप्रथम हम अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना चाहेंगे। यद्यपि अपीलार्थी की ओर से अपील विलम्ब से पेश की गई है, किन्तु न्यायहित में विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाता है। प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण किया जाता है।

जिला कलक्टर
जयपुर

7. राजस्व ग्राम बिन्दायका तहसील जयपुर का अपीलाधीन विवादित नामान्तरकरण संख्या 1355 उपखण्ड अधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 15.12.2014 एवं आदेश दिनांक 31.12.2014 की पालना में तहसीलदार जयपुर द्वारा दिनांक 12.01.2015 को स्वीकृत किया गया है, तब उपखण्ड

अधिकारी जयपुर प्रथम का निर्णय दिनांक 15.12.2014 एवं आदेश 31.12.2014 प्रभावी था। जिसकी पालना में तहसीलदार जयपुर द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण 12.01.2015 तस्दीक किया गया है। इसलिए तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

8. उपखण्ड अधिकारी के उक्त आदेश को वर्ष 2019 में खारिज होना बताया है। यदि उपखण्ड अधिकारी का यह आदेश अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, तो तहसीलदार जयपुर जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें।
9. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा मय मिसल मातहत तहसीलदार जयपुर को प्रेषित हो । पत्रावली शुमार फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो।
10. निर्णय आज दिनांक 04.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

4/1/22

( अन्तर सिंह नेहरा )
जिला कलक्टर
जयपुर